International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2022; 8(1): 254-255
© 2022 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 03-10-2021
Accepted: 07-12-2021

डॉ० अर्चना पाल
एसो० प्रोफेसर एवं अध्यक्षा संस्कृत विभाग, आर.सी.ए. गर्ल्स (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ० अर्चना पाल
एसो० प्रोफेसर एवं अध्यक्षा संस्कृत विभाग, आर.सी.ए. गर्ल्स (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

मनुस्मृति में नारी विषयक चिन्तन–एक अध्ययन

डॉ० अर्चना पाल

सारांश
हमारे देश में प्राचीनकाल से मध्यकाल तक अनेक प्रकार के सहित्य की सर्जना की गयी, जिसका समाज और संस्कृति पर विपुल प्रभाव पडा है। ये साहित्य प्रधानतः धार्मिक होते हुये भी तत्कालीन समाज और संस्कृति की व्यञ्जना करते हैं। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का माना जाता है जबकि भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ वेदों के समय में स्त्री और पुरूष को समान सम्मान प्राप्त था। मनुस्मृति की इस सन्दर्भ में समय–समय पर चर्चा होती रहती है, परन्तु उसका समग्र रूप में आकलन किया जाना आवश्यक है, जिससे धर्म और मर्यादा की रक्षा के नाम पर हमारे समाज की स्त्री भी सडी–गली व्यवस्थाओं को मानने के लिये बाध्य न हो।

कूट शब्द: विशीलः, उपचर्यः अनृत, प्राज्ञः, जामयो

प्रस्तावना
मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं तथा इसमें 2694 श्लोक हैं। सृष्टिक्रम, धर्म का लक्षण, विवाह के प्रकार और उसका स्वरूप, स्त्रियों के लिये विभिन्न व्यवस्थायें, राजाओं का धर्म, दण्डनीति, राजा के न्याय सम्बन्धी अधिकार और कर्तव्य, पुत्र–पुत्री के अधिकार, वर्ण–व्यवस्था, पंच महापाप, कर्म विवेचना, शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल आदि का इसमें वर्णन किया गया है।
इसके प्रथम अध्याय के 58 वें श्लोक में मनु ने कहा है कि ब्रह्मा ने इस धर्मशाश्त्र की रचना करके मनु को पढ़ाया और मनु ने भृगु, मरीचि, अत्रि, अङि.रा, वसिष्ठ आदि दस मुनियों को पढ़ाया।
वर्तमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति भार्गवी मनुसंहिता है। मनु के उपदेश को लेकर भृगु के द्वारा प्रोक्त होने से वर्तमान मनुस्मृति भार्गवी मनुसंहिता मानी जाती है। प्रथम अध्याय के 59 वें श्लोक में मनु ने कहा है कि ये भृगुमुनि इस शास्त्र को कुछ भी शेष न रखकर आप लोगों को सुनायेंगे क्योंकि इन मुनि ने सम्पूर्ण इस शास्त्र को मुझ से पढ़ा है।
इससे स्पष्ट है कि प्रथम अध्याय के 60 वें श्लोक से मनुस्मृति की रचना भृगुऋषि ने की है। प्रथम अध्याय के 119 वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मनु महाराज ने इस शास्त्र को बताया उसी प्रकार से इस शास्त्र को आप लोग भी मुझसे जानिए।
मनुस्मृति में स्त्री विषयक चिन्तन ने भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर व्यापक प्रभाव डाला है मनुस्मृति के नवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है–

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।

(मनु० 9.3)

अर्थात्
''बचपन में स्त्री की रक्षा पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र करता है। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतन्त्रता के योग्य नहीं होती है।'' इसी प्रकार से नवें अध्याय के 46 वें श्लोक में कहा गया है–

न निष्क्रयविमगांभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते।
एवं धर्म विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम्।।

(मनु० 9.46)

अर्थात्

''बेच देने या छोडने से भी पत्नी उस पति के पत्नीत्व से नहीं छूटती, प्रजापति के बनाये इस विधान को हम भली प्रकार से जानते हैं।''

वैदिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान सम्मान प्राप्त था। वे सैन्य शिक्षा भी प्राप्त करती थीं और पति के साथ बैठकर यज्ञादि धार्मिक कार्य भी करती थीं। उन्हें अपनी उन्नति के लिये पूर्ण अवसर प्राप्त थे, परन्तु मनुस्मृति में कुछ ऐसी व्यवस्थायें दी गयीं हैं जिससे स्त्रियों की स्थिति अधोगति को प्राप्त होती हैं। मनुस्मृति के नवें अध्याय क 18 वें श्लोक में उल्लिखित है कि–

नास्तिस्त्रीणांक्रियामन्त्रैरितिधर्मेव्यवस्थितिः।
निरिन्द्रियाह्यमन्त्राश्चस्त्रियोऽनृतमितिस्थितिः।।
(मनु० 9.18)

अर्थात्

''स्त्रियों की संस्कारक्रिया वेदमन्त्रों से नहीं करने का विधान है, अज्ञान के कारण मन्त्र का उन्हें अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनकी स्थिति ही असत्य में है।''

गुणहीन पति को भी स्त्री के द्वारा देवतुल्य मानने की व्यवस्था भी मनुस्मृति में दी गयी है, जिनसे पुरूष प्रधान समाज की स्थापना हुयी है और स्त्रियों के स्वतन्त्र विकास में बाधा पहुँची है। मनुस्मृति के पाँचवें अध्याय के 154 वें श्लोक में वर्णित है–

''विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः।
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः।।''
(मनु० 5.154)

अर्थात

''अच्छे स्वभाव से रहित तथा स्वेच्छाचारी अथवा धन, विद्या इत्यादि गुणों से रहित होने पर भी साध्वी स्त्री को पति की देवता के समान सेवा करनी चाहिये।'' इसी प्रकार से विधवा स्त्री के लिये कहा गया है कि –

कामं तु क्षपयेद्देंह पुष्पमूलफलैः शुभैः।
न तु नामापिगृह्णीयात्पयौ प्रेते परस्यतु।।
(मनु० 5.157)

अर्थात्

''पति के दिवंगत होने पर सती स्त्री पवित्र फूल, मूल, फल इत्यादि का ही आहार लेकर अपने शरीर का चाहे त्याग कर दे, परन्तु दूसरे पुरूष का नाम भी न ले।'' पुरूषों के वर्चस्व को प्रतिपादित करते हुये अन्यत्र भी कहा गया है कि–

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेतत् वा पिता।
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ.या।।
(मनु० 3.11)

अर्थात्

''जिस कन्या का भाई न हो अथवा जिस के पिता ज्ञात न हों, उस कन्या से समझदार पुरूष पुत्रिका धर्म की आशंका से विवाह न करे।''

भारत के सामाजिक इतिहास में स्त्रियों के सम्बन्ध में परस्पर घोर असमान नियमों एवं व्यवस्थाओं को दिया है। अपमान, अन्याय और असमानता की घोर वेदना ने स्त्रियों के विकास को संकुचित किया है। नारी को एक ओर शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है तो दूसरी ओर उसे अबला कहा गया है। इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतन्त्र विकास में बाधा पहुँचायी है।

मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 56 वें श्लोक में कहा गया है कि –

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया।।
(मनु० 3.56)

अर्थात्

''जिस घर में स्त्रियाँ पूजित होती हैं, वहाँ देवगण प्रसन्न होते हैं और जहाँ स्त्रियाँ अपमानित होती हैं, वहाँ सब पुण्यकार्य फलहीन हो जाते हैं।'' इसी प्रकार से तीसरे अध्याय के 57 वें श्लोक में वर्णित है–

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति नु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।।
(मनु० 3.57)

अर्थात्

''जहाँ कुल वधुएं क्लेश पाती हैं वह कुल शीघ्र विनष्ट हो जाता है और जहाँ क्लेश नहीं होता, वहाँ सदैव समृद्धि रहती है।'' इसी अध्याय के 58 वें श्लोक में कहा गया है–

''जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।।
(मनु० 3.58)

अर्थात्

''जिस घर में अपूजित या जिनका सत्कार नहीं किया जाये ऐसी (पुत्री, बहन, पुत्रवधू इत्यादि) स्त्रियाँ शाप देती हैं वे घर सभी प्रकार से नष्ट होते हैं।''

इससे स्पष्ट है कि हमारा समाज एक साथ दो विरोधी विचारों की विसंगतियों में जीता है। एक ओर तो वह नारी को पूजनीय मानता है और दूसरी ओर उसका जीवन नारकीय बनाते हुए उसे अबला, शासिता और भोग्या मानता है। इन दो विपरीत आख्यानों के बीच नारी का वास्तविक स्वरूप खंडित हो गया है। मनुस्मृति में दो विपरीत विचारों को देखा जा सकता है। स्त्रियों के लिये दी गयीं कुछ व्यवस्थायें स्त्रियों के विरूद्ध थीं और उनके लिये बनाये गये नियम भेदभाव से प्रेरित थे।

निष्कर्ष

इससे स्पष्ट है कि मनुस्मृति में स्त्री और पुरूषों के लिये घोर असमान नियम और व्यवस्थायें दी गयीं। धर्म और मर्यादा की रक्षा के नाम पर हमारे समाज की स्त्री भी इस सडी–गली व्यवस्थाओं को अपनी नियिति मान चुकी है। जब तक पुरूष वर्ग अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लायेगा तब तक हमारे विकास के सारे दावे खोखले हैं। आज भी हमारी आधी आबादी खुलकर साँस नहीं ले पा रही है और सुरक्षित नहीं है। 'मनुस्मृति' का विश्लेषण करते समय हमें समाज के विकास में सहायक तत्वों को ग्रहण करना चाहिये तथा पतनोन्मुखी तत्वों को छोडकर एक स्वस्थ तथा समतामूलक समाज और देश को बनाने के प्रयास होने चाहिये।

सन्दर्भ सूची

1. मनुस्मृति – सम्पादक–डॉ० चमनलाल गौतम
2. मनुस्मृति – गीता प्रेस गोरखपुर (उ०प्र०)।
3. मनुस्मृति – सम्पादक – पं हरगोविन्द शास्त्री चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी।
4. मनुस्मृति – सम्पादक शिवराज आचार्य, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी।